ALL INDIA FORUM AGAINST PRIVATISATION (AIFAP)

AN ATTACK ON ONE IS AN ATTACK ON ALL!

Website: https://aifap.org.in
Email: contact@aifap.org.in

WhatsApp Number:
+918454018757

18/12/2025

मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और लोक-विरोधी ड्राफ्ट विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025 को वापस लिया जाए

भाइयों और बहनों,

9 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार ने ड्राफ्ट विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025 (EAB 2025) जारी किया। सरकार के अपने शब्दों के अनुसार, इस विधेयक का उद्देश्य "उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्युत क्षेत्र को सशक्त और सुधारना" है। सरकार बेशर्मी से स्वीकार कर रही है कि इस विधेयक का उद्देश्य बड़े भारतीय कॉरपोरेट्स के लाभ के लिए विद्युत क्षेत्र में "सुधार" करना है।

बड़े कॉरपोरेट्स को संतुष्ट करने के इसी उद्देश्य के अनुरूप, प्रारूप EAB 2025 पर बड़े पूंजीपतियों के सभी संगठनों — FICCI, CII और ASSOCHAM — की राय ली गई है। इसके साथ ही बिजली उत्पादन तथा पारेषण और वितरण कंपनियों के पूंजीवादी संगठनों की राय भी मांगी गई है, जिनका नेतृत्व टाटा, अडानी, जिंदल, टोरेंट, अनिल अंबानी आदि जैसे बड़े पूंजीपति करते हैं। सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन से जुड़े अन्य पूंजीपतियों तथा विद्युत क्षेत्र के उपकरण निर्माताओं की राय भी मांगी गई है।

भारत सरकार ने EAB 2025 पर बिजली कर्मचारियों या देश की जनता — उसके मजदूरों, किसानों, युवाओं और महिलाओं — से कोई टिप्पणी आमंत्रित नहीं की।

2025 का यह विधेयक बड़े भारतीय इजारेदार पूंजीपतियों की दो प्रमुख लंबित मांगों को पूरा करता है। पहली, वे चाहते हैं कि बिजली वितरण क्षेत्र को निजीकरण के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जाए, और दूसरी, वे चाहते हैं कि उनके उद्योगों के लिए बिजली की दरें कम की जाएं।

भाइयों और बहनों,

भारत में बिजली वितरण नेटवर्क, जिसमें लाखों किलोमीटर के केबल, ट्रांसफॉर्मर और हजारों सबस्टेशन शामिल हैं, पिछले 70 वर्षों में राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से जनता के लाखों करोड़ रुपये के निवेश से और पिछले कई दशकों में लाखों श्रमिकों के श्रम से बनाया गया है।

EAB 2025 का उद्देश्य समानांतर लाइसेंसिंग प्रणाली के तहत इजारेदार पूंजीपतियों को इस मौजूदा नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देना है, जिसके अंतर्गत बिना किसी बुनियादी ढांचे में निवेश किए, इजारेदार पूंजीपति अपनी पसंद के क्षेत्रों में बिजली वितरण में प्रवेश कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, केंद्र सरकार वितरण में निजी पूंजीपतियों द्वारा अग्रिम बिल वसूली को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की स्थापना की योजना को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रही है।

विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारियों पर सार्वभौमिक आपूर्ति दायित्व (universal supply obligation, USO) लागू है। इसका अर्थ है कि वितरण लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को बिजली आपूर्ति से इंकार नहीं कर सकता जो इसकी मांग करता है। यह बात पूंजीपतियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वे हमेशा केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को चुनने की इच्छा व्यक्त करते रहे हैं जिनसे उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके। ड्राफ्ट विधेयक के अनुच्छेद 43 में जोड़ा गया नया उपखंड 4 राज्य आयोगों को यह अधिकार देता है कि वे वितरण लाइसेंसधारी को किसी विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं को छूट देने की अनुमति दें। यह भविष्य में और अधिक उपभोक्ता श्रेणियों को जोड़ने की स्पष्ट संभावना खोलता है और इसलिए यह एक अत्यंत खतरनाक मिसाल है। आगे चलकर यह आम लोगों और किसानों के लिए खतरा पैदा करता है जो कम बिजली की खपत करते हैं और इसलिए "लाभकारी" ग्राहक नहीं माने जाते, और उन्हें USO से बाहर किया जा सकता है।

राज्य के डिस्कॉम्स को पूरे नेटवर्क बुनियादी ढांचे का रखरखाव और उन्नयन करने के लिए मजबूर किया जाएगा, जबकि इजारेदार कॉरपोरेट्स उसी का उपयोग नाममात्र की 'व्हीलिंग चार्ज' राशि चुकाकर करेंगे, जिससे लागत का सामाजिककरण और मुनाफे का निजीकरण होगा। अंततः राज्य डिस्कॉम्स को धन की कमी से जूझना पड़ेगा और वे नष्ट कर दिए जाएंगे।

वर्तमान में, ग्रामीण आबादी, किसानों तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को कम दरों पर बिजली आपूर्ति की जाती है। इस कम दर पर आपूर्ति की लागत का एक हिस्सा उद्योगों से अधिक दरें वसूल कर वहन किया जाता है। इसे क्रॉस सब्सिडी कहा जाता है।

EAB 2025 कहता है कि क्रॉस सब्सिडी की प्रणाली, अर्थात उद्योगों से बिजली की अधिक दरें वसूलने की व्यवस्था, को 5 वर्षों में समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह बड़े पूंजीपतियों की मांग रही है क्योंकि वे इसे अपने मुनाफे बढ़ाने का साधन मानते हैं।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक बार जब इजारेदार कॉरपोरेट्स वितरण क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, तो गरीब परिवारों को दी जाने वाली वर्तमान सब्सिडी प्रणाली भी समय के साथ समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना है।

बिजली वितरण में इजारेदार कॉरपोरेट्स के प्रवेश का परिणाम बिजली की कीमतों में वृद्धि के रूप में सामने आएगा और मजदूरों व किसानों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस बुनियादी आवश्यकता के भुगतान में चला जाएगा, जिससे मेहनतकश लोगों की गरीबी और बढ़ेगी।

इसके अलावा, EAB 2025 केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से एक विद्युत परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। इस परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत मंत्री करेंगे और इसमें राज्य के विद्युत मंत्री सदस्य होंगे, तथा यह केंद्रीय और राज्य सरकारों को नीतिगत मामलों और विद्युत क्षेत्र के 'सुधारों' के कार्यान्वयन पर सलाह देगी। भारत के मेहनतकश लोगों को पहले ही GST परिषद का कड़वा अनुभव है, जिसने पूरे भारत में जन-विरोधी GST उपायों को समान रूप से लागू किया। विद्युत परिषद भी निस्संदेह पूरे भारत में जन-विरोधी विद्युत नीतियों को लागू करने का एक उपकरण बनेगी।

EAB यह भी निर्धारित करता है कि पूरे भारत में वितरित की जाने वाली बिजली में नवीकरणीय ऊर्जा, अर्थात सौर और पवन ऊर्जा से उत्पन्न बिजली की एक निश्चित न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए, जिसे सरकार/विद्युत परिषद द्वारा तय किया जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन मुख्य रूप से निजी इजारेदार कॉरपोरेट्स द्वारा किया जाता है और EAB 2025 के माध्यम से वे अपने द्वारा उत्पादित बिजली के लिए एक सुनिश्चित बाजार बनाना चाहते हैं।

EAB 2025 विद्युत नियामक आयोगों (ERC) के लिए यह अनिवार्य करता है कि वे हर वर्ष 1 अप्रैल को बिजली की दरों का पुनरीक्षण इस सिद्धांत के आधार पर करें कि बिजली उत्पादन की पूरी लागत टैरिफ के माध्यम से वसूली जानी चाहिए। बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण में भारी निवेश की आवश्यकता होती है और यह शर्त रखना कि पूरी लागत उपभोक्ताओं, अर्थात भारत की जनता से वसूली जाए, एक लोक-विरोधी और असामाजिक मांग है, जिसका उद्देश्य केवल विद्युत क्षेत्र में मौजूद पूंजीपतियों के लिए अतिलाभ उत्पन्न करना है।

यह विधेयक यह भी प्रावधान करता है कि यदि ERC के सदस्य लागत-प्रभावी टैरिफ निर्धारित करने में विफल रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी!

EAB 2025 का बिजली क्षेत्र के सभी श्रमिकों और भारत के सभी मेहनतकश लोगों द्वारा पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। यह 27 लाख बिजली कर्मचारियों के जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालता है और उन्हें नौकरी छोड़ने, कार्य के ठेकेदारीकरण, कार्य घंटों में वृद्धि और रोजगार की असुरक्षा का सामना करने के लिए मजबूर करता है।

यह भारत की जनता के लिए बिजली की कीमतों में वृद्धि करेगा और सबसे गरीब वर्गों के लिए इसे वहन करना असंभव बना देगा।

बिजली दैनिक जीवन के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। देश के मेहनतकश लोगों को सस्ती दरों पर इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार का मूल कर्तव्य है। इस विधेयक के साथ, सरकार पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है और केवल इजारेदार पूंजीपति वर्ग के मुनाफे बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

भाइयों और बहनों,

भारत के श्रमिक वर्ग के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, हमें यह मांग करते हैं कि राज्य डिस्कॉम्स के बुनियादी ढांचे को इजारेदार पूंजीपतियों को सौंपने के बजाय, केंद्र और राज्य सरकारें देश भर में विद्युत बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और रखरखाव के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराएं, ताकि सभी मेहनतकश लोगों की इस बुनियादी आवश्यकता का ध्यान रखा जा सके। हमें यह भी मांग करते हैं कि बिजली क्षेत्र में सभी रिक्त पद भरे जाएं और ठेका श्रमिकों को स्थायी किया जाए, न कि आउटसोर्सिंग और ठेकेदारीकरण किया जाए।

भाइयों और बहनों,

केवल बिजली क्षेत्र ही नहीं है जिसे इजारेदार पूंजीपति अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। वे केंद्र सरकार पर सभी सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी उद्यमों — जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा, रक्षा, भारतीय रेलवे, गोदी और बंदरगाह, कोयला खदानें और अन्य खदानें आदि शामिल हैं — के निजीकरण के लिए दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित करने के लिए मजबूर किया है, जिससे इन इजारेदार पूंजीपतियों के लिए मजदूरों को आसानी से रखने और निकालने सहित कई अन्य उपाय संभव हो जाएंगे। यह स्पष्ट है कि पूरी आर्थिक नीतियां इन्हीं इजारेदार कॉरपोरेट्स के हितों से निर्धारित हो रही हैं।

विद्युत संशोधन विधेयक को निरस्त करने का संघर्ष केवल बिजली कर्मचारियों का संघर्ष नहीं है। यह भारत के पूरे श्रमिक वर्ग और जनता का संघर्ष है।

AIFAP के घटकों के रूप में, हम सभी प्रारूप EAB 2025 सहित केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे इन सभी मजदूर-विरोधी, राष्ट्र-विरोधी और असामाजिक कदमों के प्रति अपना सबसे कड़ा विरोध दर्ज करते हैं।

AIFAP के घटक

1. एयर इंडिया एम्प्लोयीज यूनियन (AIEU)
2. एयर इंडिया सर्विस इंजिनियर्स एसिओसेशन (AISEA)
3. ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग यूनियन (AIAMEU)
4. ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसिओसेशन (AIBOA)
5. ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फ़ेडरेशन (AIBOC)
6. ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन (AICWF)
7. ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ एससी/एसटी ऑर्गेनाजेशंस (ऑल इंडिया परिसंघ)
8. ऑल इंडिया डिफेन्स एम्पलोयीज फेडरेशन (AIDEF)
9. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रीसिटी एम्पलोयीज (AIFEE)
10. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स (AIFOPDE)
11. ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल (AIGC)
12. ऑल इंडिया IDBI ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIIDBIOA)
13. ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA)
14. ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) एम्प्लोयीज फेडरेशन

15. ऑल इंडिया NMDC वर्कर्स फेडरेशन
16. ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लोयीज एसोसिएशन - उत्तर रेलवे
17. ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन (AIPMA)
18. ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (AIPDWF)
19. ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF)
20. ऑल इंडिया रेलवे एम्पलोयीज कॉन्फेडरेशन (AIREC) – पश्चिमी क्षेत्र
21. ऑल इंडिया रेलवे मेल सर्विस (RMS) एंड मेल मोटर सर्विस (MMS) एम्प्लाइज यूनियन [मेल गार्ड (MG) एंड मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS)]
22. ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर्स यूनियन (AIRTU)
23. ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (AIRF)
24. ऑल इंडिया SC/ST/OBC संयुक्त मोर्चा
25. ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राईब एम्प्लोयीज एसिओसेशन (AISCSTREA)
26. ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एमप्लोयीज फेडरेशन
27. ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (AISMA)
28. ऑल इंडिया स्टील वर्कर्स फेडरेशन (AITUC)
29. ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर्स एसोसिएशन (AITCA)
30. आंध्र प्रदेश स्टेट पॉवर एम्प्लोयीज जॉइंट एक्शन कमिटी (APSPEJAC)
31. बहुजन समाजवादी मंच (BSM)
32. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएम्एल) एम्पलाईज एसिओसेशन (बंगलौर कम्प्लेक्स)
33. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) एम्पलोयीज एसिओसेशन, पलक्कड़, केरल
34. भारत पेट्रोलियम टेक्नीकल और नौन-टेक्नीकल एम्पलोयीज एसोसिएशन (BPTNTEA) – मुंबई रिफाइनरी
35. भारतीय रेलवे मज़दूर यूनियन (BRMU) एसडव्लू रेलवे, हुबली
36. बिहार फुले अंबेडकर युवा मंच
37. बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) एम्प्लोयीज यूनियन
38. बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) कामगार संघटना
39. सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ (CRMS)
40. सेंट्रल रेलवे ट्रैकमेंटेनर यूनियन (CRTU)
41. चित्तरंजन लोको वर्क्स (CLW) रेलवेमेन्स यूनियन, चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल
42. चित्तरंजन रेलवेमेन्स कांग्रेस (CRMC), चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल
43. कोचीन रिफायनरीज वर्कर्स एसोसिएशन (CRWA)-CITU
44. कोचीन रिफाइनरी एम्पलोयीज एसोसिएशन (CREA-INTUC)
45. कन्टेनर कॉर्पोरेशन (CONCOR) एम्पलोयीज यूनियन
46. कोयला मजदूर यूनियन (AITUC)
47. दक्षिण रेलवे एम्पलोयीज यूनियन (DREU)
48. डीजल लोको आधुनिकीकरण वर्क्स (DMW) रेलवेमेन्स यूनियन, पटियाला, पंजाब
49. डीजल लोको वर्क्स (DLW) मेन्स यूनियन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
50. डीएमडव्ल्यू रेलवे वर्कर्स यूनियन (DMWRWU), पटियाला, पंजाब
51. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) आईसीएफ लेबर यूनियन
52. ईस्ट सेंट्रल रेलवेमेन्स कांग्रेस (ECRMC) (NFIR)
53. ईस्टर्न रेलवे मेन्स यूनियन (ERMU)
54. ईस्टर्न रेल्वेमेन्स कॉंग्रेस (ERMC) (NFIR)
55. इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (EEFI)
56. फातिमा शेख स्टडी सर्कल (मुंब्रा)
57. फॉरवर्ड सीमेन्स यूनियन ऑफ़ इंडिया (FSUI)
58. हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन (INTUC)
59. हिंद खदान मजदूर फेडरेशन (HKMF)
60. हिंद मज़दूर सभा (HMS) - तेलंगाना
61. हिंदुस्तान पेट्रोलियम एम्पलोयीज यूनियन, विशाखापत्तनम रिफाइनरी
62. इंडियन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन (INWEF)
63. इंडियन रेलवे केटरिंग, टूरिज्म, ई-टिकटिंग स्टाफ फेडरेशन (NFIR)
64. इंडियन रेलवे लोको रनिंगमेन ऑर्गनाइजेशन (IRLRO)
65. इंडियन रेलवे टेक्नीकल सुपरवाईजर्स एसिओसेशन (IRTSA)
66. इंडियन रेलवे टिकटचेकिंग स्टाफ ऑर्गनाइजेशन (IRTCSO)
67. इंडियन रेलवेज एस&टी मेंटेनर्स यूनियन (IRSTMU)
68. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मजदूर संघ (ICFMS), चेन्नई, तमिलनाडु
69. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन (ICF UWU) (CITU)
70. इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री (ICF) लेबर यूनियन, चेन्नई, तमिलनाडु
71. जम्मू एंड कश्मीर कॉर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियंस (JKCCTU)
72. जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लोयीज एंड इंजीनियर्स कॉर्डिनेशन कमिटी (JKPEECC)
73. जॉइंट एक्शन फ्रंट ऑफ़ पब्लिक सेक्टर ट्रेड यूनियनस ऑफ़ बैंगलोर
74. कामगार एकता कमिटी (KEC)/मजदूर एकता कमिटी (MEC)/तोयिलाली ओट्टूमइ इयक्कम (TOI)
75. लोक राज संगठन (LRS)
76. मध्य प्रदेश यूनाइटेड फ़ोरम ऑफ पॉवर एम्प्लोयीज इंजीनियर्स
77. मध्य प्रदेश विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा
78. महाराष्ट्र स्टेट बैंक कर्मचारी संघ (MSBEF)
79. महाराष्ट्र राज्य विद्युत ऑपरेटर्स संघटना
80. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन (AITUC)
81. मेन्स कांग्रेस डीजल लोको वर्क्स (MCDLW) वाराणसी, उत्तर प्रदेश
82. मेट्रो रेल वर्कर्स कांग्रेस (MRWC) (NFIR)
83. मुंबई एवं उपनगर माध्यमिक शिक्षक संघ
84. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट फ्लोटिला वर्कर्स असोसिएशन

85. म्युनिसिपल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ यूनियन, महाराष्ट्र
86. नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (NFIR)
87. नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलिकॉम एम्पलोयीज (NFTE)-BSNL
88. नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (NMOPS)
89. नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन (NRMU), मध्य रेलवे/कोंकण रेलवे
90. नवल एम्प्लोयिज यूनियन, मुंबई, (AIDEF)
91. नीलाचल एक्जिक्यूटिव्ज एसोसिएशन, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL)
92. न्हावा शेवा बंदर कामगार संगठन (CITU)
93. नॉर्थ ईस्ट रेलवे मेन्स कांग्रेस (NERMC)
94. पोर्ट, डॉक एंड वाटरफ्रंट वर्कर्स फेडरेशन (AITUC)
95. पब्लिक सेक्टर कॉर्डिनेशन कमिटी, हैदराबाद
96. पुडुचेरी बिजली विभाग निजीकरण/निगमीकरण विरोध समिति
97. पुरोगामी महिला संगठन (PMS)
98. रेल कोच फैक्ट्री (RCF) मेन्स यूनियन, कपूरथला, पंजाब
99. रेल कोच फैक्ट्री (RCF) मेन्स यूनियन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश
100. रेल कोच फैक्ट्री मजदूर यूनियन (RCFMU), कपूरथला, पंजाब
101. रेल कोच फैक्ट्री मेन्स कांग्रेस (RCFMC), रायबरेली, उत्तर प्रदेश
102. रेल मजदूर यूनियन - साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (RMU-SECR)
103. रेल व्हील फैक्ट्री (RWF) मजदूर यूनियन, बैंगलोर, कर्नाटक
104. रेल व्हील फैक्ट्री कार्मिक संघ (RWFKS), बैंगलोर, कर्नाटक
105. रिसर्च डिजाइन और स्टेंडर्ड ऑर्गनाइजेशन (RDSO) कर्मचारी संघ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
106. संचार निगम एक्जिक्यूटिव्ज एसोसिएशन (SNEA)-BSNL
107. संचार निगम पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (SNPWA)
108. सर्व कर्मचारी संघ (हरियाणा रोडवेज)
109. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) ऑफिसर्स एसोसिएशन
110. सिंगरेनी कोलियरीज वर्कर्स यूनियन (AITUC)
111. सिंगारेनी माइनर्स एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन (HMS) - तेलंगाना
112. साउथ सेंट्रल रेलवे कैटरिंग, हेल्पर्स एंड वर्कर्स यूनियन
113. साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लोयीज संघ (SCRES-NFIR)
114. सदर्न रेलवे एमप्लोयीज संघ (SRES)
115. स्टील प्लांट एमप्लोयीज यूनियन (CITU) – RINL
116. सबोर्डिनेट इंजीनियर्स एसिओसेशन (एम्एसईबी)
117. सूरत ट्रेड यूनियन कौंसिल (STUC)
118. तमिल नाडु इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन (TNEWF)
119. तमिलनाडु पावर इंजीनियर्स ऑर्गेनाइजेशन (TNPEO)
120. टीचर्स डेमोक्रेटिक फ्रंट मुंबई (TDF)
121. यूनियन टेरीटरी (यूटी) पॉवरमेन्स यूनियन, चंडीगढ़
122. अनऔर्गेनाईज्ड वर्कर्स एंड एमप्लोयीज कॉग्रेस
123. उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ (UPRMS-NFIR)
124. उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन (URMU)
125. विशाखा स्टील वर्कर्स यूनियन (AITUC), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL)
126. वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (CITU)
127. वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्प्लोयीज यूनियन (डब्लूसीआरईयू)
128. वैस्टर्न रेलवे मजदूर संघ (WRMS)